कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक प.17(11) शिक्षा–2/व.अ./अन्तर मण्डल स्था/2016 पार्ट–1 जयपुर दिनांक 20/07/2018 के क्रम में निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों एवं समकक्ष का अन्तर मण्डल स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित/स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 07/08/2018 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

SNO	Name of Employee	Sanction Post	English	वर्तमान पदस्थापित स्थान	जिला	मण्डल	स्थानान्तरित स्थान राउमावि/रामावि	जिला	मण्डल
1	BHAIRULAL RAYKA	Senior Teacher (II Gr.)	MATHS	रामावि, खानपुरा, खण्डार	Sawai madhopur	Bharatpur	राउमावि, घाटोली, खैराबाद, कोटा	Kota	Kota
2	नारायण सिंह	व.अ.	Science	राउमावि सेवाली	Barmer	Jodhpur	राउमावि केरवालिया, अटरू	Baran	Kota
3	HEMRAJ NAGAR	Senior Teacher (II Gr.)	Science	GOVT.HR.SEC.SCHOOL PARSOLI	Chittorgarh	Udaipur	राउमावि, बालूपा, सांगोद	Kota	Kota
4	SHIVANI KANWAR	Senior Teacher (II Gr.)	Science	राबामावि, कुडगांव, सपोटरा	Karoli	Bharatpur	राउमावि, लाखेरी, के पाटन	Bundi	Kota
5	अनीता मीणा	व.अ.	Hindi	राउमावि विरवाडा, पीनवाडा	Sirohi	Pali	रामावि बोरदा,इटावा	Kota	Kota
6	SMRITI SHARMA	Senior Teacher (II Gr.)	Science	रामावि, कवॅरपुरा, चाकसू	Jaipur	Jaipur	राउमावि, भवानीपुरा, हिण्डोली	Bundi	Kota

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन जारी किये जाते है। उक्त स्थानान्तरण आदेशों में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व निर्धारित शर्तो की पालना सुनिश्चत की जावें। शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित संबंधित संस्था प्रधान एवं कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी :–

1 यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भर्ती से पदस्थापित परीवीक्षाधीन कार्मिक का है तो कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

2 स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक को उसके सम्बन्धित विषय के स्पष्ट रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावें। अन्य पद/विषय के विरूद्ध कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं कराया जावें ।

3 राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावें) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें ।

4 वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वेच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरियता विलोपन की सहमति का शपथ–पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–6 जारी कर) की कार्यवाही की जावें।

5 दिनांक 01.01.2015 को एवं उसके पश्चात् वरिष्ठ अध्यापक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति वाले वरिष्ठ अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावें।

6 टीएसपी क्षेत्र से नोन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नही कराया जावें।

7 यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यकता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैन्सर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावें।

8 माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावें।

9 स्वेच्छा से अन्तर–मण्डल स्थानान्तरित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भता देय नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

10 नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक / वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के नियम–29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक / वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक / वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

11 माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक का स्थानान्तरण प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में होने पर कार्यमुक्त नही किया जावें। प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में संबंधित विषय के पद के लिए ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जावें।

12 स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण / शाला दर्शन के माध्यम से ही कार्यग्रहण अथवा कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

13 ऐसे वरिष्ठ अध्यापक जिनका परिविक्षा काल पूर्ण हो चुका है तथा प्रतिबन्धित / गैर प्रतिबन्धित जिले से प्रतिबन्धित जिले हेतु स्थानान्तरण किया गया है तो उनको कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जावें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कमाकं :– शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–1ए / कैम्प जयपर / स्थानान्तरण / वोल–1 / 18 दिनांक– 30/7/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।

2 समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि आपके मण्डल से अन्य मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक / वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–6 जारी कर) की कार्यवाही करें एवं अन्य मण्डल से आपके मण्डल में स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक / वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की वरिष्ठता के संवन्ध में संबंधित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के नियम–29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित किया जाना सुनिश्चित करावें ।

3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

4 संबन्धित संस्था प्रधान /कार्मिक।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner